राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 120/2022 प्रा0पत्र

अनवान

कोयली पुत्री माल सिंह जाति रावत आयु 52 वर्ष निवासी लाखागुड़ा हाल निवासी पत्नि उगम सिंह जाति रावत निवासी हीरा माना का बाड़िया मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.... प्रार्थीया

बनाम

जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील भीम जिला राजसमंद

.... अप्रार्थी

उपस्थिति :–

01. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री भगत सिंह चौहान
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 11/09/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया की मौजा रोहिड़ा, पटवार हल्का मण्डावर तहसील भीम मे कृषि भूमि खसरा संख्या 1896, 1897, 1898 कुल खसरे 03 कुल रकबा 0.2023 है0 तथा आराजी संख्या 1904 रकबा 0.1700 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीया की माता का नाम नोजी पत्नि ममल सिंह तथा नोजी पत्नि मूल सिंह के स्थान पर नोजी पत्नि माल सिंह का हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/3 दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थीया द्वारा साक्ष्य में माता का मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार रिकॉर्ड में उपरोक्त नाम शुद्धि उचित है तथा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थीया ने बहस में भी प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर खसरा संख्या 1896, 1897, 1898 तथा 1904 में प्रार्थीया की माता का नाम नोजी पत्नि माल सिंह एवं तद्नानुसार हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/9/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
भीम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द